(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उनके द्वारा क्या मांगें रखी गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है लिए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के उद्घोषक परिसंघ की मुख्य मांगें आकाशवाणी के संगठन संवर्ग में उद्घोषक संवर्ग का विलय करने, ट्रांसमिशन निष्पादकों एवं कार्यक्रम निष्पादकों को दिए जा रहे उच्चतर वेतनमान की स्थिति में उनसे वेतन समानता और उद्घोषकों की कार्यक्रम निष्पादकों की श्रेणी में पदोन्नति से संबंधित हैं।

(ग) एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में प्रसारण भारती की स्थापना के बाद इस मामले में प्रथमतः यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अतिरिक्त न्यायिक खंडपीठों की स्थापना

3810. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिरिक्त न्यायिक खंडपीठों की स्थापना हेतु अब तक मंत्रालय को अपने प्रस्ताव किन-किन राज्य सरकारों ने भेजे हैं तथा क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर में भी एक खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन प्रस्तावों पर अब तक किये गये अध्ययनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने किन-किन राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार किया है, तथा अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है; और

(घ) सरकार इस संबंध में कब तक अध्यादेश जारी करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम०थम्बी दुरई): (क) से (ग) इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए मांग और उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों से संबंधित साधारण प्रश्न पर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट 15-10-1986 को संसद् पुस्तकालय में रखी गई थी और राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर, क्रमशः 20-4-1987 और 21-4-1987 को रखी गई थी जिसे देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बाबत रिपोर्ट बिलासपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए भी है।

इलाहबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों की स्थापना के लिए आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, विचार और टीका-टिप्पणियों के लिए उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों को निर्देशित की गई थी। उच्च न्यायलयों की प्रधान पीठ से दूर, न्यायपीठों की स्थापना के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धान्तों और मानदंडों को जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया था।

तथापि, उच्च न्यायलयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, राज्य सरकारों से कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, मामले में आगे कार्रवाई कर पाना केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं है।

पश्चिमी बंगाल सरकार, ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उत्तरी बंगाल में, जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Additional Offices of Registrar of Companies in Maharashtra

3811. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any final decision for opening additional offices of Registrar of Companies in Maharashtra as the State only one office of Registrar which cannot cope with the work; and

(b) If so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.